

प्राथमिक सेवा वि.वि.र-2025

राजस्थान सरकार

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगोधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/169

दिनांक 08/01/2026

उपरोक्त प्रकरण के संबंध में वनायुक्त मुनिश्वरजी तहसीलदार

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक0, 1956

युक्तका संख्या 2024/2025

—: दुरुरती का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का आदेश —

उपर्युक्त विषय-वस्तु लेख है कि तहसीलदार श्रीगोधोपुर जारि के पत्रांक 2024/भू.अ./2025 दिनांक 04/11/2025 के द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा -136 के अन्तर्गत भिजवाये गये राजस्व ग्राम 115/1 पटवारी हल्का 115/1 तहसील श्रीगोधोपुर जिला सीकर के नुमे खाता संख्या 11,12,13 के खातेदार 115/1 115/1 पटवारी हल्का 115/1 के स्थान पर 115/1 115/1 पटवारी हल्का 115/1 का नाम दुरुरत किये जाने के आदेश जारी किये गये है। पटवारी हल्का 115/1 उपरोक्त आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुरती कर पालना रिपोर्ट एक माह में इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीगोधोपुर (सीकर)

कमांक/रीडर/2025/170-171

दिनांक 08/01/2026

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ:-

1 तहसीलदार श्रीगोधोपुर (सीकर) को सूचनार्थ।

2 पटवारी हल्का 115/1 तहसील श्रीगोधोपुर को पालनार्थ;

(अनिल कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
श्रीगोधोपुर (सीकर)



प्रतिवेदन पटवारी हल्का: झाड़ली

पंचायत समिति श्रीमाधोपुर

अहोरात्र निवेदन है कि शर्मा व राजान ग्राम झाड़ली के खता नं. 673, 671, 672 में वर्तमान जमाखंडी में नाम देवेन्द्र पुत्र नावराज एवं आगीरध पुत्र नावराज जाति अहीर दर्ज रिकॉर्ड है। जलते पत्नी के आधारकार्ड, ज-1 आधारकार्ड, पैनकार्ड में नाम देवेन्द्र पुत्र नावराज यादव तथा आगीरध पुत्र नावराज यादव दर्ज है। इससे जलताया अग्र्य बोर्ड व जलते ग्राम झाड़ली में इस नाम का नहीं है। अतः देवेन्द्र पुत्र नावराज यादव तथा आगीरध पुत्र नावराज यादव का नाम उचित है। रिपोर्ट की प्रतिलिपि को सादन भेजेंगे।

27
4.10.25

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: झाड़ली

हस्ताक्षर पटवारी
30/10/2025
श्रीमाधोपुर

जमाखाने के मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का झाड़ली व संबंधित हस्ताक्षरों के अनुसार देवेन्द्र पुत्र नावराज एवं आगीरध पुत्र नावराज के स्थान पर देवेन्द्र पुत्र नावराज यादव तथा आगीरध पुत्र नावराज यादव दर्ज किया जाने की अनुशंसा की जाती है।

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक
30/10/25
श्रीमाधोपुर

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार ( भू-अभिलेख ), श्रीमाधोपुर

27
4.10.25

मुताबिक हल्का पटवारी रिपोर्ट एवं D.P.R की जांच पर आधारित सुझाव की अनुशंसा की जाती है।

तहसीलदार (भू-अभिलेख)
श्रीमाधोपुर

304
17-10-25

आदेश ( शिविर स्थान:- दिनांक:- )

पटवारी हल्का झाड़ली व भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त झाड़ली की जांच रिपोर्ट एवं तहसीलदार श्रीमाधोपुर की आधीशवा रिपोर्ट के आधार पर ग्राम झाड़ली के खता नं. 671, 672, 673 में दर्ज देवेन्द्र आगीरध नावराज नावराज के स्थान पर देवेन्द्र आगीरध नावराज यादव का नाम उचित है। रिपोर्ट की प्रतिलिपि को सादन भेजेंगे।

उप-खण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर
श्रीमाधोपुर